कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22496/तम्बाकू धूम्रपान/वो–2/2022 दिनांक : .04.2023

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा।

विषय :– बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के रोकथाम किये जाने बाबत्।
प्रसंग :– शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर का क्रमांक : प.24(8)शिक्षा–6/2020 जयपुर दिनांक : 10.02.2023

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि बच्चों में समाज में व्याप्त नशे की बुराई को समाप्त किये जाने के क्रम में भारत सरकार द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन योजना व नशामुक्ति भारत अभियान अन्तर्गत नशे के दुष्परिणामों के प्रति जन मानस को जागरूक किए जाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

अतः प्रासंगिक पत्र मय संलग्न कर लेख है कि उक्त पत्रों में वर्णित गतिविधियों के संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने एवं अन्य सुझावों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए इस बाबत् कार्यालय में रिकार्ड संधारण कर पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : यथोक्त।

(रमेश कुमार हर्ष)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
4. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी समस्त संस्था प्रधानों को ई–मेल प्रेषित करने बाबत।
6. समस्त प्राचार्य, राउमावि।
7. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Ramesh Kumar Harsh
Designation : Deputy Director
Date: 2023.04.10 00:04:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3599310

PS/mail/1526/23
22-3-23

DD(sec)
21/3/23

राजस्थान–सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–प.24(8)शिक्षा–6/2020 जयपुर, दिनांक :

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– बच्चों में बढती नशे की प्रवृत्ति के रोकथाम किये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांकः एफ15(1)(46)सा.सु./न.मु./सान्याअवि/22/74982 दिनांक 04.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि बच्चों में समाज में व्याप्त नशे की बुराई को समाप्त किये जाने के क्रम में भारत सरकार द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन योजना व नशामुक्ति भारत अभियान अन्तर्गत नशे के दुष्परिणामों के प्रति जन मानस को जागरूक किये जाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अतः उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त पत्र में वर्णित गतिविधियों के संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने एवं अन्य सुझावों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए की गई कार्यवाही से कृपया इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आकाश रंजन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature valid
शासन उप सचिव
Digitally signed by A...h Ranjan
Designation : Others
Date: 2023.0... :59:10 IST
Reason: Appro...

RajKaj Ref No. : 3141293

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ15(1)(46)सा.सु./न.मु./सान्याअवि/22/ 74982 जयपुर दिनांक 04/01/23

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
पत्र प्राप्ति क्रमांक 127
दिनांक 12/01/2023

विषयः–बच्चों में बढती नशे की प्रवृत्ति के रोकथाम किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि विगत वर्षों में बालक/बालिकाओं द्वारा नशे की दवाईयों एवं अन्य मादक पदार्थो का सेवन किये जाने के प्रकरण सामने आये है। नशे में लिप्त बालक/बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आपराधिक कृत्य किये जाने तथा ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ शोषण, दुर्व्यवहार होने के जोखिम अक्सर बना रहता है। ऐसे में बच्चों में दिनों–दिन नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से बौद्विक/शारीरिक विकास नही होने के कारण बच्चों का भविष्य ही नहीं अपितु देश का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है।

समाज में व्याप्त नशे की इस बुराई को समाप्त किये जाने के क्रम में भारत सरकार व राज्य सरकार काफी गम्भीर है जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा National Action Plan For Drug Demand Reduction (NAPDDR) योजना व नशामुक्ति भारत अभियान अन्तर्गत नशे के दुष्परिणामों के प्रति जन–मानस को जन–जागरूक किये जाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तथा समय–समय पर इस हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहें है। फिर भी समाज से इस बुराई को समाप्त करने में काफी कठिनायॉ आ रही है।

उक्त के क्रम में अनुरोध है कि राज्य के समस्त स्कूलों (राजकीय व गैर राजकीय) म अध्ययनरत बच्चों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत करवाये जाने तथा उपचार एवं बचाव के रूप में जन–जागरूकता कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक स्कूल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया

E-NAPDDR.GOV.OF INDIA-NAPDDR Letter.doc

जावे। उक्त नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण (Supervision) में जन–जागरूकता शिविर हेतु परामर्शदाता / मनोचिकित्सक, उस क्षेत्र में कार्यरत राजकीय चिकित्सक, समाज क प्रबुद्ध नागरिक, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि, जन–प्रतिनिधि, राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त चिकित्सक, समाज के प्रभावी व्यक्तियों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को आमंत्रित कर नशे के दुष्परिणामों पर निम्न गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है:–

- लघु नाटक कथा
- कठपुतली नाटक
- फिल्म प्रदर्शनी
- वाद–विवाद प्रतियोगिता
- कार्यशाला
- मैराथन दौड
- नारा / सुविचार लेखन कार्यक्रम / निबंध प्रतियोगिता / चित्र कला

उपरोक्त गतिविधियों के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय / आवासीय विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में कोई प्रतिष्ठान / खुदरा विक्रेता द्वारा स्वापक औषधि / मनः प्रभावी पदार्थ / शराब / तम्बाकू आदि पदार्थ संबंधी व्यवसायिक गतिविधियो का संपादित होने पर उक्त की सूचना जिला आबकारी अधिकारी एवं संबन्धित पुलिस थाने को देकर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक: एफ 15( ) एनएपीडीडीआर / सा.सु. / सान्याअवि / 2022 74983-84 जयपुर,दिनांक : 04/01/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सान्याअवि, शासन सचिवालय जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव